वर्ष 2017–18 के लिये प्रस्तावित योजनावार विवरण

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आऊट–ले/ बजट प्राविधान (लाख रु0)		परिकल्पित लाभ (प्रोजेक्टेड आउटपुट)	समय सीमा	परिकल्पित परिणाम (प्रोजेक्टेड आउटकम)	समय सीमा
			राजस्व	पूंजीगत				
केन्द्रपोषित योजनायें								
1	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना **(90:10 केन्द्रांश एवं राज्यांश)**	कृषि सैक्टर के समग्र विकास हेतु अवस्थापना सुविधाओं का सृजन तथा विकास मद की चालू योजनाओं के लिये बजट की कमी को पूरा करना।	4510.00	-	**1. कृषि के साथ–साथ अन्य सहायक क्रिया–कलापों** से आय बढ़ाने के उद्देश्य से 21 बहुउददेशीय टैंक, 21 मत्स्य पालन टैंक, 10 मुर्गी पालन ईकाइयां तथा 13 पॉली हाउस का निर्माण किया जायेगा। इसके अतिरिक्त चैकडैम तथा ड्राईलैण्ड हार्टीकल्चर के कार्य **2. जैविक खेती एवं मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन** के अन्तर्गत 625 वर्मी कंपोस्ट इकाइयॉ, 220 नाडेप पिट्स, 32 बंबू नाडेप, 350 किलोग्राम जैव उर्वरक वितरण–350, 50 ग्राम स्तर प्रशिक्षण तथा जैविक प्रमाणीकरण का कार्य किया जायेगा। **3. कृषि में नवीन तकनीकी** तथा कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देने हेतु निम्मानुसार कृषि यंत्रों का वितरण किया जायेगा रोटावेटर– 75 संख्या पावर टिलर/पावर वीडर– 95	वार्षिक कार्यक्रम	**1. योजना के सहयोग से** फसल सघनता में वृद्धि होगी, जो कि वर्तमान स्तर से बढ़कर 180 से 190 प्रतिशत तक पहुच सकती है। 260 है0 में अतिरिक्त सिंचन क्षमता में वृद्वि होगी। **2. जैविक कृषि में कम्पोस्ट** खादों के प्रयोग से उत्पादन में लगभग 5 से 10 प्रतिशत तक की वृद्वि होगी। **3. मशीनों के उपयोग से खेती में मानव श्रम** तथा खेती में प्रयोग होने वाले पशुओं की समस्या दूर होगी। कम समय में कृषि कार्य	तीन वर्ष तीन वर्ष एक वर्ष

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आऊट–ले/ बजट प्राविधान (लाख रु0)		परिकल्पित लाभ (प्रोजेक्टेड आउटपुट)	समय सीमा	परिकल्पित परिणाम (प्रोजेक्टेड आउटकम)	समय सीमा
			राजस्व	पूंजीगत				
					संख्या विनोईंग फेन– 45 संख्या मंडुवा थ्रेसर, थ्रेसर / मल्टीपरपज थ्रेसर– 70 संख्या रीपर बाईंडर–07 संख्या ब्रुश कटर– 60 संख्या चैफ कटर–100 संख्या टैक्टर चलित यंत्र–380 संख्या फार्म मशीनरी बैक–87 कस्टम हायरिंग सेन्टर की स्थापना–40 नैपसैक स्प्रेयर– 180 संख्या छोट कृषि यंत्र–25000 संख्या पशुचलित यंत्र–180 संख्या		पूर्ण होगें, जिससे कृषक अतिरिक्त फसल ले सकेगा समय की बचत से उत्पादन लागत में 15 से 20 प्रतिशत तक कमी आयेगी।	
2	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (धान, गेहूँ, मोटे आनाज एवं दलहन) वाणिज्यिक फसलें (गन्ना) **(90:10 केन्द्रांश एवं राज्यांश)**	क्षेत्र विस्तार एवं उत्पादकता वृद्वि। बीज प्रतिस्थापना दर में वृद्धि। चावल, गेहूँ, मोटे अनाज एवं दलहन की कुल उत्पादकता को पुनर्स्थापित करना, रोजगार सृजन एवं आर्थिकी के स्तर में वृद्वि सुनिश्चित कराते हुये किसानों में विश्वास पैदा करना।	1856.06	-	10530 है० में उन्नत प्रजातियों के फसल प्रदर्शन, 27667 कुं० उन्नत प्रजाति के बीजों के वितरण पर अनुदान तथा 37956 है० सूक्ष्म पोषक तत्व वितरण किया जायेगा।	वार्षिक कार्यक्रम	उन्नत बीजों की प्रतिस्थापना दर में वृद्धि, मृदा में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को पूरा किया जायेगा तथा उत्पादन में 5 से 10 प्रतिशत की वृद्धि होगी। उन्नत बीजों के प्रयोग के परिणास्वरूप क्षेत्रफल में वृद्धि होगी।	एक वर्ष

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आऊट–ले/ बजट प्राविधान (लाख रु0)		परिकल्पित लाभ (प्रोजेक्टेड आउटपुट)	समय सीमा	परिकल्पित परिणाम (प्रोजेक्टेड आउटकम)	समय सीमा
			राजस्व	पूंजीगत				
3.	**राष्ट्रीय कृषि प्रसार एवं प्रौद्योगिकी मिशन**							
3.1	सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्टेंशन	किसानों को सभी उन्नत कृषि एवं संवर्गीय कार्यक्रमों की तकनीकी नवीनतम जानकारी उपलब्ध कराना।	30.02	-	कृषि में तकनीकों के प्रचार –प्रसार हेतु निम्न कार्यक्रम संचालित किये जायेगें। कृषक प्रशिक्षण– 14280 मानव दिवस एक्पोजर विजिट–14500 मा0दि0 फसल प्रदर्शन– 2000 सं0 समूह का क्षमता विकास–380 सं0 किसान मेला– 13 सं0 किसान गोष्टी एवं फिल्ड डे– 190 सं0 लाभान्वित कृषक– 14000 सं0 आदि।	वार्षिक कार्यक्रम	उन्नत एवं नवीन तकनीकों के प्रचार–प्रसार से तथा अध्ययन भ्रमण से कृषकों की तकनीकी क्षमता में वृद्धि होगी, जिस कारण वह क्षेत्र विशेष के अनुसार अधिक लाभकारी कृषि कार्यक्रम अपनायेगें। इससे कृषकों की आय में वृद्धि के साथ कृषि क्षेत्र में भी वृद्धि दर प्राप्त होगी।	एक वर्ष
3.2	सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाईजेशन	आधुनिक उन्नत कृषि यंत्रों के उपयोग को बढावा देना।	1500.00	-	उन्नत कृषि यंत्रों के प्रोत्साहन एवं खेती के लिए सुगमता से कृषि यंत्रों की उपलब्धता हेतु निम्नानुसार यंत्रों का वितरण किया जायेगा। फार्म मशीनरी बैंक– 30 सं0 कस्टम हायरिंग सेन्टर– 20 सं0 ट्रैक्टर वितरण– 80 सं0 ट्रैक्टर चालित यंत्र– 640सं0 आदि	वार्षिक कार्यक्रम	फार्म मशीनरी बैंक एवं कस्टम हायरिंग सेन्टर से कृषकों को कम मूल्य/किराये पर आवश्यकता के अनुरूप कृषि यंत्र उपलब्ध होगें। कृषि यंत्रों के उपयोग से समय की बचत के साथ उत्पादन लागत में लगभग 15 से 20 प्रतिशत में कमी आयेगी, एवं उत्पादन में वृद्धि होगी।	एक वर्ष
3.3	सबमिशन ऑन सीड एण्ड प्लांटिग मैटेरियल	गुणवत्ता युक्त बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित कराना	20.02	-	बीज प्रतिस्थापन दर में वृद्वि हेतु निम्नानुसार गुणवत्ता युक्त बीजों का वितरण किया जायेगा खरीफ –3240.00 कुं0 रबी – 15550.00 कुं0	वार्षिक कार्यक्रम	कृषकों को गुणवत्ता बीज उपलब्ध होगें तथा वर्ष लगभग 4 प्रतिशत बीज प्रतिस्थापना दर में वृद्धि के साथ–साथ उत्पादन बढ़ेगा।	एक वर्ष

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आऊट–ले/ बजट प्राविधान (लाख रु0)		परिकल्पित लाभ (प्रोजेक्टेड आउटपुट)	समय सीमा	परिकल्पित परिणाम (प्रोजेक्टेड आउटकम)	समय सीमा
			राजस्व	पूंजीगत				
3.4	NeGPA	सूचना प्रौद्योगिकी का प्रसार।	10.02	-	670 न्याय पंचायतों को कमप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से भारत सरकार के ई–पोर्टल से जोड़ा जायेगा	वार्षिक कार्यक्रम	नवीनतम सूचनाओं की जानकारी कृषकों को उपलब्ध हो पायेगी।	एक वर्ष
	योग राष्ट्रीय कृषि प्रसार एवं प्रौद्योगिकी मिशन		1560.06	-				
4	**राष्ट्रीय संपोषणीय कृषि मिशन (90:10 केन्द्रांश एवं राज्यांश)**							
4.1	वर्षा आधारित क्षेत्र विकास कार्यक्रम	भारत सरकार द्वारा पुनर्गठित नयी योजना, जिसके द्वारा कृषि क्षेत्र में सतत उत्पादन लेने हेतु प्रयास किये जायेंगे।	3230.00	-	1923 है० क्षेत्रफल में समेकित कृषि प्रणाली को प्रोत्साहित करना एवं मूल्य संवर्धन।	वार्षिक कार्यक्रम	वर्षा आधारित क्षेत्रों में फसल प्रणालियों के विकास से कृषि, उद्यान, दुग्ध उत्पादन, मत्स्य, पशुधन एवं वृक्ष आधारित कृषि से कृषकों की आय में वृद्वि होगी तथा उत्पादन 5 से 10 प्रतिशत बढेगा।	तीन वर्ष
4.2	मृदा स्वास्थ्य प्रबन्धन	मृदा परीक्षण सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण।	15.02	-	13 मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं में सूक्ष्म पोषक तत्वों के परीक्षण की व्यवस्था तथा अन्य सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण किया जायेगा।	वार्षिक कार्यक्रम	मृदा में सूक्ष्म पोषक तत्वों की उपलब्धता के परीक्षण से संस्तुति के आधार पर भूमि में सूक्ष्म पोषक तत्वों का प्रयोग किया जायेगा। प्रयोगशालाओं में परीक्षण से संबंधित अन्य आवश्यक सुविधायें उपलब्ध करायी जायेंगी।	एक वर्ष
4.3	मृदा स्वास्थ्य कार्ड	राज्य के सभी कृषकों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराना एवं मृदा स्वास्थ्य प्रबन्धन के विषय में जागरूकता लाना।	50.02	-	प्रत्येक 02 वर्ष के चक्र में राज्य के समस्त 9.12 लाख कृषि जोतों के सापेक्ष कृषकों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराये जाने हैं।	वार्षिक कार्यक्रम	मृदा परीक्षण के आधार पर मृदा में उर्वरकों एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों के उपयोग की संस्तुति कृषकों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड पर अंकित कर उपलब्ध करायी जायेगी। कृषकों द्वारा संस्तुति के अनुसार उर्वरकों का प्रयोग किया जायेगा, इससे धन की बचत के साथ मृदा	दो वर्ष

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आऊट–ले/ बजट प्राविधान (लाख रु0)		परिकल्पित लाभ (प्रोजेक्टेड आउटपुट)	समय सीमा	परिकल्पित परिणाम (प्रोजेक्टेड आउटकम)	समय सीमा
			राजस्व	पूंजीगत				
							स्वास्थ्य में सुधार होगा, परिणास्वरूप उत्पादन में वृद्धि होगी।	
4.4	परम्परागत कृषि विकास योजना	कलस्टर एप्रोच के आधार पर चयनित जैविक ग्रामों में पी०जी०एस० प्रमाणीकरण के अन्तर्गत जैविक कृषि को प्रोत्साहित करना।	50.02	-	550 कलस्टरों के कृषि क्षेत्र को जैविक कृषि के अन्तर्गत आच्छादित करना।	वार्षिक कार्यक्रम	कृषकों को जैविक कृषि के अन्तर्गत कृषि हेतु तकनीकी रूप से सक्षम बनाना, जैविक कृषि आधारित फसलों के क्षेत्रफल एवं उत्पादन में वृद्धि।	तीन वर्ष
	योग–(राष्ट्रीय सम्पोषणीय कृषि मिशन)		3345.06	-				
5	किसानों हेतु फसल बीमा (प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना)	प्राकृतिक आपदा से फसलों को होने वाली क्षति की दशा में किसानों को क्षतिपूर्ति की व्यवस्था। विशेषकर आपदा वर्षो में कृषि आय को स्थिर करना।	100.00	-	योजना में धान, मंडुवा एवं गेहूँ की फसल आच्छादित है। अधिक से अधिक ऋणी एवं अऋणी कृषकों को योजना से जोड़ा जायेगा।	वार्षिक कार्यक्रम	प्राकृतिक आपदाओं एवं जोखिम से होने वाले नुकसान की स्थिति में कृषकों को योजना से क्षतिपूर्ति उपलब्ध होगी तथा कृषकों का मनोबल बढ़ा रहेगा।	एक वर्ष
6	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना **(90:10 केन्द्रांश एवं राज्यांश) पर ड्रॉप मोर क्रॉप**	प्रक्षेत्र स्तर पर भौतिक रूप से जल के उपयोग को बढ़ाना और खेती योग्य भूमि के सिंचन क्षेत्र में वृद्धि करना।	3900.00	-	कृषि विभाग द्वारा **"पर ड्राप मोर क्राप"** घटक के अन्तर्गत 2603 है0 क्षेत्रफल में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।	वार्षिक योजना	कम पानी से अधिक क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी, जिससे सिंचन क्षेत्रफल तथा उत्पादन मे लगभग 2 प्रतिशत की वृद्धि होगी।	एक वर्ष
7	राष्ट्रीय ऑयल सीड एवं ऑयल पाम मिशन **(90:10 केन्द्रांश एवं राज्यांश)**	राज्य में तिलहन उत्पादन एवं तिलहनी फसलों का क्षेत्रफल बढाने के प्रयास किये जायेगें।	135.00	-	तिलहनी फसलों के अधिक उपज देने वाली प्रजातियों के 995 कु० बीज का वितरण किया जायेगा।	वार्षिक कार्यक्रम	लगभग 27000 है० उन्नत प्रजातियों के तिलहनी फसलों के क्षेत्रफल के अन्तर्गत आच्छादित होगा।	एक वर्ष
8	**कृषि सॉख्यिकी सुदृढ़ीकरण (100 प्रतिशत केन्द्रांश)**							
8.1	फसल सांख्यिकी सुधार योजना (ICS)	फसल सांख्यिकी संग्रह प्रणाली की कमियों का पता	29.86	-	योजना में निम्न कार्य किये जायेंगे– राज्य स्तर पर	वार्षिक कार्यक्रम	कृषि सांख्यिकी के अन्तर्गत क्षेत्रफल एवं औसत उपज के	एक वर्ष

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आऊट–ले/ बजट प्राविधान (लाख रु0)		परिकल्पित लाभ (प्रोजेक्टेड आउटपुट)	समय सीमा	परिकल्पित परिणाम (प्रोजेक्टेड आउटकम)	समय सीमा
			राजस्व	पूंजीगत				
		लगाना और प्रणाली में सुधार के उपाय सुझाना			पड़ताल जांच–110 ग्राम खसरा रजिस्टर टोटल की जांच–110 ग्राम क्रॉप कटिंग फसल धान– 50 प्रयोग फसल मण्डुआ – 40 प्रयोग फसल गेहूँ – 60 प्रयोग		आंकडों के संग्रहण की प्रणाली में कमियों का पता लगाकर तथा उनके सुधार हेतु उपायों को प्रदेश सरकार एवं केन्द्र सरकार को सुझाना	
8.2	क्षेत्रफल के अनुमान लगाने की योजना (TRS)	बुवाई के उपरान्त खरीफ, रबी एवं जायद की मुख्य फसलों के क्षेत्रफल, उत्पादन का अनुमान लगाना।	24.35		बुवाई के तुरन्त बाद मुख्य फसलों के क्षेत्रफल के अनुमान तैयार करना तथा फसल कटने के पूर्व उत्पादन के अग्रिम अनुमान को तैयार करना।	वार्षिक कार्यक्रम	क्षेत्रफल एवं उत्पादन का अनुमान तैयार कर प्रदेश सरकार एवं भारत सरकार को भेजा जायेगा।	एक वर्ष
	योग (कृषि सॉख्यिकी सुदृढ़ीकरण)		54.21	-				
	केन्द्र–पोषित योजनाओं का योग		**15460.39**	-				
राज्यपोषित योजनायें–आयोजनागत								
1	कृषि विभाग का सामान्य अधिष्ठान	क्रॉप कटिंग एक्सपेरीमेंट्स पर होने वाले व्यय तथा सामान्य प्रशासनिक व्यय की व्यवस्था करना।	10921.01	-	1468 कार्मिकों का वेतन	वार्षिक कार्यक्रम	कृषि के क्षेत्रफल में वृद्धि एवं रियलिस्टिक उत्पदन/उत्पादकता की जानकारी	एक वर्ष
2	स्थानीय फसलों का प्रोत्साहन कार्यक्रम	स्थानीय फसलों को प्रोत्साहित करने हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन।	300.03	-	स्थानीय फसलों के उत्पादन एवं क्षेत्रफल में वृद्धि करना।	वार्षिक कार्यक्रम	स्थानीय फसलों के महत्व के दृष्टिगत उनके उत्पादन से कृषकों की आय में वृद्धि होगी, साथ ही कृषि भूमि बंजर होने से बच सकेगी।	एक वर्ष
3	प्रयोगात्मक प्रक्षेत्र प्रदर्शन एवं बीज वर्द्धन प्रक्षेत्र	राजकीय प्रक्षेत्रों पर उन्नत प्रजाति के बीजों का उत्पादन।	37.21	-	1500 कुंतल बीजों का उत्पादन	वार्षिक कार्यक्रम	प्रमाणित बीजों की कमी को दूर करने में सहायता मिलेगी।	एक वर्ष
4	जैविक उत्पाद परिषद् का सुदृढीकरण	राज्य में जैविक खेती को बढावा देना।	150.00	-	50 हजार हैक्टेयर में जैविक प्रमाणीकरण	वार्षिक कार्यक्रम	जैविक उत्पादों का अधिक मूल्य प्राप्त होगा, जिससे कृषकों की	एक वर्ष

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आऊट–ले/ बजट प्राविधान (लाख रु0)		परिकल्पित लाभ (प्रोजेक्टेड आउटपुट)	समय सीमा	परिकल्पित परिणाम (प्रोजेक्टेड आउटकम)	समय सीमा
			राजस्व	पूंजीगत				
							आय में वृद्धि के साथ जैविक कृषि को प्रोत्साहन मिलेगा।	
5	सूचना सलाह केन्द्रों का सुदृढीकरण	राज्य में किसानों को महत्वपूर्ण जानकारियॉ उपलब्ध कराना।	6.00	-	82 सूचना सलाह केन्द्रों का संचालन व्यय	वार्षिक कार्यक्रम	सूचना केन्द्रों के माध्यम से कृषि तकनीकों का प्रचार–प्रसार होगा।	एक वर्ष
6	कृषि निवेश भण्डारों प्रक्षेत्रों तथा प्रशिक्षण केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण	कृषि विभाग में अवस्थापना सुविधाओं का विकास।	408.03	-	670 न्यायपंचायत स्तर पर कृषि निवेश केन्द्रों का संचालन एवं सहायकों का वेतन	वार्षिक कार्यक्रम	ग्राम स्तर एवं न्याय पंचायत स्तर पर कृषकों को समय से निवेश उपलब्ध कराये जायेंगे।	एक वर्ष
7	विभिन्न प्रयोगशालाओं का संचालन व्यय	विभिन्न प्रयोगशालाओं के लिये रसायनों, ग्लासवेयर्स आदि की व्यवस्था।	45.75	-	1.06 लाख मृदा नमूने, 700 उर्वरक एवं 400 कीटनाशी नमूनों का विश्लेशण	वार्षिक कार्यक्रम	मृदा में पोषक तत्वों की उपलब्धता की जानकारी होगी, जिससे सन्तुलित उर्वरकों का प्रयोग किया जायेगा। उर्वरकों एवं कीटनाशी रसायनों के नमूनों का परीक्षण किया जायेगा, जिससे कृषकों को गुणवत्तायुक्त सामग्री उपलब्ध होगी। इसके परिणामस्वरूप उत्पादन में वृद्धि होगी।	एक वर्ष
8	जल पंप स्प्रिंकलर सेट पाली हाउस विविधीकरण	किसानों को उन्नत कृषि यंत्र अनुदानित मूल्य पर उपलब्ध कराते हुये कृषि यंत्रीकरण को प्रोत्साहित, समतुल्य अनुदान	200.00	-	केन्द्रपोषित योजनाओं के अन्तर्गत कृषि यंत्रों पर देय राज सहायता के सापेक्ष समतुल्य अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा लाभार्थी कृषक– 1500	वार्षिक कार्यक्रम	श्रम एवं लागत में कमी। कृषि उत्पादन में 2 प्रतिशत की वृद्वि।	एक वर्ष
9	विभागीय भवनों का निर्माण एवं रखरखाव	विभागीय परिसंपत्तियों का रखरखाव।	-	33.00	बीज भण्डारों, प्रयोगशालाओं एवं विभागीय भवनों का रख–रखाव एवं नये भवनों का निर्माण किया जायेगा।	वार्षिक कार्यक्रम	परिसंपत्तियां सुरक्षित रहेंगी तथा इनके मूल्य में वृद्धि होगी।	एक वर्ष
10	4401–खाद्यान्न/दलहन/तिल हन बीजों का क्रय	गुणवत्ता युक्त बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।	-	1500.00	वर्ष 2017–18 में 46170 कुं0 प्रमाणित बीजों का वितरण किये जाने	एक वर्ष	गुणवत्तायुक्त बीज कृषकों को उपलब्ध कराये जायेंगे। जिसकी	एक वर्ष

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आऊट–ले/ बजट प्राविधान (लाख रु0)		परिकल्पित लाभ (प्रोजेक्टेड आउटपुट)	समय सीमा	परिकल्पित परिणाम (प्रोजेक्टेड आउटकम)	समय सीमा
			राजस्व	पूंजीगत				
					का लक्ष्य है।		उत्पादन में वृद्धि होगी।	
11	4401–कीटनाशी औषधियों का क्रय	कीटों से फसलों को होने वाले रोगों से बचाव।	-	1500.00	कीटनाशी औषधियों द्वारा 3.24 लाख है कृषि क्षेत्रफल का उपचार किया जायेगा।	एक वर्ष	फसलें कीट/रोगों की क्षति से बचेंगी। जिससे उत्पादन में वृद्धि होगी।	एक वर्ष
12	अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों में कृषि विकास कार्यक्रम	चयनित ग्राम का सूक्ष्म नियोजन करते हुये पूर्ण विकास का लक्ष्य प्राप्त करना।	250.00	-	चयनित 50 ग्रामों के 1500 कृषकों को लाभान्वित किया जायेगा।	एक वर्ष	चयनित ग्रामों में कृषि कार्यक्रमों के संचालन से कृषि उत्पादन में वृद्धि के साथ–साथ कृषकों की आय में वृद्धि होगी।	एक वर्ष
13	अनुसूचित जनजाति बाहुल्य ग्रामों में कृषि विकास कार्यक्रम	चयनित ग्राम का सूक्ष्म नियोजन करते हुये पूर्ण विकास का लक्ष्य प्राप्त करना।	100.00	-	चयनित 10 ग्रामों के 750 कृषकों को लाभान्वित किया जायेगा।	एक वर्ष	चयनित ग्रामों में कृषि कार्यक्रमों के संचालन से कृषि उत्पादन में वृद्धि के साथ–साथ कृषकों की आय में वृद्धि होगी।	एक वर्ष
14	राज्य किसान आयोग	कृषि क्षेत्र के विकास हेतु नई योजना पर विचार करना	10.00	-	राज्य में कृषि के विकास एवं कृषकों की आय में वृद्धि करने हेतु नवीनतम योजनाओं पर विचार करना।	एक वर्ष	कृषि क्षेत्र में सुधार होगा।	एक वर्ष
15	जैविक मंडुवा उत्पादन कार्यक्रम	चयनित क्षेत्रों में जैविक मंडुआ उत्पादन बढ़ाना	50.02	–	चयनित जनपदों में जैविक मण्डुवा क्षेत्र विस्तार एवं उत्पादन हेतु कार्य किया जायेगा।	एक वर्ष	जैविक उत्पाद एवं क्षेत्रफल में वृद्वि होगी।	एक वर्ष
राज्य पोषित योजनाओं का योग			12478.05	3033.00				
महायोग			**27938.44**	**3033.00**				

कुल बजट प्राविधानः– रू0 30971.44 लाख

क्र.सं	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आऊट–ले/ बजट प्राविधान (लाख रुपये में)		परिकल्पित (प्रोजेक्टेड आउटपुट)	समय सीमा	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड आउटकम)	समय सीमा
			राजस्व	पूंजीगत				
					ब्रुश कटर– 40 संख्या चैफ कटर–80 संख्या टैक्टर चलित यंत्र–250 संख्या नैपसैक स्प्रेयर–150 संख्या छोट कृषि यंत्र–18000 संख्या पशुचलित यंत्र–150 संख्या			
2	**राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (धान, गेहूँ, मोटे आनाज एवं दलहन)** (90:10 केन्द्रांश एवं राज्यांश	क्षेत्र विस्तार एवं उत्पादकता वृद्धि कार्यक्रमों को चलाकर चावल, गेहूँ, मोटे अनाज एवं दलहन की कुल उत्पादन में वृद्धि करना, मृदा उर्वरता एवं उत्पादकता को पुनर्स्थापित करना, रोजगार सृजन एवं आर्थिकी के स्तर में वृद्धि सुनिश्चित कराते हुये किसानों में विश्वास पैदा करना।	1700.06	–	एन0एफ0एस0एम–चावल, गेहूं, मोटे अनाज एवं दलहन के अन्तर्गत 8285 प्रदर्शन, 13841 कुं0 बीज वितरण, 47337 है0 क्षेत्रफल में पौध एवं मृदा प्रबंधन कार्य, 86000 कृषि यंत्र/ जल संवहन पाइप/उर्जा प्रबंधन, 29 प्रशिक्षण का आयोजन आदि कार्य सम्पादित किये गये।	एक वर्ष	संबन्धित क्षेत्रों में चावल, गेंहूँ एवं मोटे आनाज के उत्पादन में वृद्धि हुई एवं दलहन के क्षेत्रफल एवं उत्पादकता में सुधार हुआ।	एक वर्ष
3	**राष्ट्रीय कृषि प्रसार एवं प्रौद्योगिकी मिशन (NMAET)**							
3.1	सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाईजेशन **(SMAM)** (90:10 केन्द्रांश एवं राज्यांश)	आधुनिक उन्नत कृषि यंत्रों के उपयोग को बढावा देना।	500.00	–	योजना में 10 कस्टम हायरिंग सेन्टर तथा 33 फार्म मशीनरी बैंक स्थापित हुये। योजना में निम्न कृषि यंत्रों का वितरण हुआ– ट्रैक्टर–, 29 सं0 पावर टिलर–09 सं0 ट्रैक्टर चलित यंत्र–100 सं0 मानव चालित पौध सुरक्षा यंत्र–95 सं0 शक्ति चालित पौध सुरक्षा यंत्र–10 सं0	एक वर्ष	कस्टम हायरिंग सेन्टर एवं फार्म मशीनरी बैंक से कृषको का न्यूनतम किराये पर आवश्यकता के यंत्र प्राप्त हुये। अनुदान पर यंत्र वितरण से कृषकों को आर्थिक लाभ हुआ वहीं उत्पादन लागत में 10 % से 15 % तक कमी आयी तथा इन कृषकों के प्रक्षत्रों पर उत्पादन में वृद्धि आंकी	एक वर्ष

क्र.सं	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आऊट–ले/ बजट प्राविधान (लाख रुपये में)		परिकल्पित (प्रोजेक्टेड आउटपुट)	समय सीमा	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड आउटकम)	समय सीमा
			राजस्व	पूंजीगत				
					थ्रेसर/मल्टीक्रॉप थ्रेसर–16 सं0		गई।	
3.2	सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन (आतमा) **(SMAE)** (90:10 केन्द्रांश एवं राज्यांश)	किसानों को सभी उन्नत कृषि एवं संवर्गीय कार्यक्रमों की तकनीकों की जानकारी उपलब्ध कराना।	1200.00	–	योजना के अन्तगर्त निम्न कार्यक्रम संचालित हुये– कृषक प्रशिक्षण– 11902 मा0दि0 एक्सपोजर विजिट–9756 मा0दि0 प्रदर्शन– 2081 सं0 समूहों का क्षमता विकास –152 सं0 किसान मेलों का आयोजन–16 सं0 कृषक संख्या– 15499 किसान गोष्ठी एवं फिल्ड–डे– 152 सं0 कृषक संख्या–12732 फार्म स्कूल– 239 सं० कृषक पुरस्कार ब्लॉक लेवल–273 सं० कृषक पुरस्कार जनपद लेवल–39 सं०	एक वर्ष	कृषकों को नवीन तकनीकी जानकारी देने से उनमें जागरुकता बढ़ी है। जिससे उत्पादन में साकारात्मक वृद्धि के साथ–साथ कृषकों की आय में भी गुणवात्मक सुधार हुआ है।	एक वर्ष
3.3	सब मिशन ऑन सीड एण्ड प्लांटिंग मैटेरियल(90:10 केन्द्रांश एवं राज्यांश)	गुणवत्ता युक्त बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित कराना	250.00	–	योजना में 7829 कु0 गेहू बीज का वितरण किया गया।	एक वर्ष	उन्नत प्रजातियों के बीज वितरण से उत्पादन में वृद्धि के साथ–साथ रबी मौसम में गेहूं फसल के अन्तर्गत बीज प्रतिस्थापना दर में वृद्धि हुयी।	एक वर्ष
3.4	NeGP-A	समस्त विकास खण्ड़ों में सूचना प्रौद्योगिकी का प्रसार।	130.00	–	95 विकासखण्डों एवं 35 कृषि एवं भूमि संरक्षण इकाईयों को कम्प्यूटर नेटवर्क के माध्यम से भारत सरकार के ई–पोर्टल से जोड़ा गया।	एक वर्ष	सूचना के आदान प्रदान में सूचनाओं का ऑन लाइन प्रराम्भ हुआ जिससे कार्य को गति मिली।	एक वर्ष
योग (राष्ट्रीय कृषि प्रसार एवं प्रौद्योगिकी मिशन)			2080.00	–				
4	**राष्ट्रीय संपोषणीय कृषि मिशन (NMSA)**							
4.1	रेनफेड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम (RAD) (90:10 केन्द्रांश एवं राज्यांश)	भारत सरकार द्वारा पुनर्गठित नयी योजना, जिसके द्वारा कृषि क्षेत्र में सतत उत्पादन लेने हेतु प्रयास किये जायेंगे।	890.00	..–	योजना के अन्तर्गत निम्नलिखि कार्य किये गये– कृषि पद्वतियों के समूह प्रदर्शन–2279 है0 टयबुलर– 9500 वर्ग मी0 साइलेज इकाई–10 संख्या पोस्ट हार्वेस्ट एण्ड स्टोरेज–656 वर्ग मी0 मिडिल रीच गली नियंत्रण संरचनायें	एक वर्ष	उद्यान, पशुधन, दुग्ध उत्पादन, वृक्ष उत्पादन तथा कृषि वानिकी आधारित फसल प्रणाली को सुदृढ़ किया गया जिससे विभिन्न प्रणालियों के अन्तर्गत कृषकों की	तीन वर्ष

क्र.सं	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आऊट–ले/ बजट प्राविधान (लाख रुपये में)		परिकल्पित (प्रोजेक्टेड आउटपुट)	समय सीमा	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड आउटकम)	समय सीमा
			राजस्व	पूंजीगत				
					(सामूदायिक)– 451 संख्या लोवर रीच गली नियंत्रण संरचनायें (सामूदायिक)– 203 संख्या वर्मी कंपोस्ट इकाईयां–482 संख्या मौन पालन– 800 कालोनी प्रशिक्षण– 53 संख्या शैक्षणिक भ्रमण –39 संख्या		आय बढ़ी।	
4.2	सोयल हैल्थ मैनेजमेन्ट (90:10 केन्द्रांश एवं राज्यांश)	मृदा परीक्षण सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण।	100.00	–	05 मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं में सूक्ष्म पोषक तत्वों के परीक्षण हेतु आवश्यक उपकरणों की व्यवस्था।	एक वर्ष	प्रयोगशालाओं में सूक्ष्म पोषक तत्वों के परीक्षण के आधार पर कृषकों द्वारा भूमि में सूक्ष्म पोषक तत्वों का प्रयोग किया गया।	दो वर्ष
4.3	(मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना) (90:10 केन्द्रांश एवं राज्यांश)	प्रत्येक 2 वर्ष के चक्र में कृषकों को सन्तुलित उर्वरक प्रयोग हेतु मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराना।	210.10	–	योजना में निम्न कार्य किये गये– मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरण–445710 सं0 मृदा नमूनों का परीक्षण–82393 सं0	एक वर्ष	मृदा परीक्षण की संस्तुति के आधार पर कृषकों द्वारा उर्वरकों तथा खादों का प्रयोग किया गया। जिससे उत्पादन वृद्धि के साथ मृदा स्वास्थ्य को सुधारने के प्रयास हुये।	एक वर्ष
4.4	परम्परागत कृषि विकास योजना	कलस्टर एप्रोच के आधार पर चयनित जैविक ग्रामों में पी0जी0एस0 प्रमाणीकरण के अन्तर्गत जैविक कृषि को प्रोत्साहित करना।	2300.00	–	योजना में निम्न कार्य किये गये– पी0जी0एस0 प्रमाणीकरण–27491 है0 मृदा नमूना एकत्रीकरण–10054 सं0 जैविक बीज/रोपण सामाग्री वितरण (प्रति एकड)–21450 फास्फेटिक जैविक खाद–11227 वर्मी कम्पोस्ट इकाई (संख्या)–14608 बायलॉजिकल नाइट्रोजन हार्वेस पलांटिग–20490 तरल बायोपेस्टिसाइड की व्यवस्था–24335 जैविक मेला आयोजन (संख्या) –346 ऑन लाइन कृषक पंजीकरण–27500	एक वर्ष	वर्मी कम्पोस्ट एवं अन्य जैविक सामाग्रियों के उपयोग से मृदा स्वास्थ्य में सुधार हुआ है तथा उत्पादन में वृद्धि हुई। पी0जी0एस0 जैविक प्रमाणीकरण को प्रोत्साहित किया गया।	तीन वर्ष
राष्ट्रीय संपोषणीय कृषि मिशन (NMSA)			**3500.00**	–				

क्र.सं	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आऊट–ले/ बजट प्राविधान (लाख रुपये में)		परिकल्पित (प्रोजेक्टेड आउटपुट)	समय सीमा	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड आउटकम)	समय सीमा
			राजस्व	पूंजीगत				
5	किसानों हेतु फसल बीमा योजना (प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना)(50:50 केन्द्रांश एवं राज्यांश)	प्राकृतिक आपदाओं से फसलों को होने वाली क्षति की दशा में किसानों को क्षतिपूर्ति की व्यवस्था। विशेषकर आपदा वर्षो में कृषि आय को स्थिर करना।	600.00	–	वर्ष 2016–17 में कुल 206743 कृषक योजना के अन्तर्गत बीमित हुये। कुल 107233 है0 योजना में आच्छादित हुआ।	एक वर्ष	खरीफ– 2016 में 14010 कृषकों को रू0 325.00 लाख क्षति पूर्ति का भुगतान किया गया।	एक वर्ष
6	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (90:10 केन्द्रांश एवं राज्यांश)	प्रक्षेत्र स्तर पर भौतिक रूप् 35 `जल के उपयोग को बढ़ाना और खेती योग्य भूमि के सिंचन क्षेत्र में वृद्धि करना।	5600.00	–	योजना के घटक (per drop more crop) के अन्तर्गत निम्न कार्य किये गये– जल संग्रहण/वर्षा जल संग्रहण संरचनाओं का निर्माण–637 सं0 सामूदायिक सिंचाई नालियां– 130 सं0 HDPE पाईप – 38530 मी0 जल पंप– 129 सं0 टयूब वेल– 102 सं0 प्रशिक्षण–15 संख्या जल स्रोतों का सुदृढ़ीकरण–130	एक वर्ष	सिंचन क्षमता में वृद्धि हुई।	एक वर्ष
7	राष्ट्रीय मिशन ऑन आयल सीड एवं आयल पाम (90:10 केन्द्रांश एवं राज्यांश)	राज्य में तिलहन उत्पादन एवं तिलहनी फसलों का क्षेत्रफल बढाने का प्रयास करना	150.00	–	योजना में निम्न कार्य किये गये– बीज वितरण –516.40 कु0 प्रदर्शन –432 है0 प्रजनक बीजों का क्रय– 10.25 कु0 आधारीय एवं प्रमाणीत बीज उत्पादन– 38.42 कु0 सूक्ष्म पोषक तत्व एवं रसायन वितरण– 546 है0 कृषि यंत्र वितरण– 78 संख्या	एक वर्ष	तिलहन के क्षेत्रफल में वृद्धि आंकी गई तथा उत्पादन में वृद्धि हुई।	एक वर्ष
8	**फसल सांख्यिकी के सुधार की योजना**							
8.1	कृषि सांख्यिकी के सुधार की योजना Improvement In Crop Statistics	फसल सांख्यिकी संग्रह प्रणाली की कमियों का पता लगाना और प्रणाली	37.86	–	योजना में निम्न कार्य किये गये– पडताल जांच–110 ग्राम खसरा रजिस्टर टोटल की जांच–110 ग्राम	वार्षिक कार्यक्रम	योजना अन्तर्गत कार्यो की सूचना भारत सरकार को उपलब्ध करायी गई।	एक वर्ष

क्र.सं	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आऊट–ले/ बजट प्राविधान (लाख रुपये में)		परिकल्पित (प्रोजेक्टेड आउटपुट)	समय सीमा	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड आउटकम)	समय सीमा
			राजस्व	पूंजीगत				
	(ICS)	में सुधार के उपाय सुझाना			क्रॉप कटिंग फसल धान– 50 प्रयोग फसल मण्डुआ – 40 प्रयोग फसल गेहूँ – 60 प्रयोग			
8.2	उत्पादन का अनुमान लगाने की योजना Timely Reporting Scheme (TRS)	बुवाई के उपरान्त खरीफ, रबी एवं जायद की मुख्य फसलों के क्षेत्रफल, उत्पादन का अनुमान लगाना	46.50	–	खरीफ एवं रबी की मुख्य फसलों की बुवाई के तुरन्त बाद क्षेत्रफल का अनुमान तैयार किया गया तथा फसल कटने से पूर्व उत्पादन के अग्रिम (प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ/अन्तिम/पूरी तरह संशोधित) अनुमान तैयार किया गया। कुल 3841 राजस्व ग्रामों में प्राथमिकता के आधार पर पड़ताल की गयी।	वार्षिक कार्यक्रम	क्षेत्रफल एवं उत्पादन के अनुमान की सूचना कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार तथा प्रदेश सरकार को प्रेषित की गई।	एक वर्ष
योग (फसल सांख्यिकी के सुधार की योजना)			84.36	–				
केन्द्रपोषित योजनाओं का योग			**21714.42**	–				
राज्य सेक्टर की योजनायें								
1	कृषि विभाग का सामान्य अधिष्ठान	कृषि विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों के साथ–साथ कृषि सांख्यिकी के अन्तर्गत फसलों के क्राप कटिंग के आधार पर उत्पादन के अनुमान पर होने वाले व्यय की व्यवस्था करना।	11394.14	–	कृषि विभाग के 1468 अधिकारियों/ कर्मचारियों के वेतन भुगतान किया गया तथा कृषि सांख्यिकी के अन्तर्गत राजस्व विभाग के प्राथमिक कर्मचारियें के माध्यम से कराये जा रहे क्रॉपकटिंग प्रयोगों हेतु मानदेय, क्षतिपूर्ति एवं मजदूरी का भुगतान किया गया।	एक वर्ष	खरीफ, रबी एवं जायद की फसलों का क्रॉप कटिंग के आधार पर उत्पादन के आकड़े भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार को प्रेषित किये गये।	एक वर्ष
2	स्थानीय फसलों का प्रोत्साहन कार्यक्रम	योजनान्तर्गत स्थानीय फसलों को प्रोत्साहन देने हेतु कार्यक्रम जायेंगे।	300.04	–	परम्परागत स्थानीय फसलों जैसे मंडुवा, रामदाना आदि के उत्पादन पर कृषकों को रू० 300 प्रति कुन्तल की दर से 100000 कुं0 पर उत्पादन बोनस दिया गया।	एक वर्ष	परम्परागत स्थानीय फसलों के उत्पादन करने में कृषकों की रूची पैदा हुई जिससे उत्पादन में वृद्धि रही।	एक वर्ष

क्र.सं	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आऊट–ले/ बजट प्राविधान (लाख रुपये में)		परिकल्पित (प्रोजेक्टेड आउटपुट)	समय सीमा	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड आउटकम)	समय सीमा
			राजस्व	पूंजीगत				
3	प्रयोगात्मक प्रक्षेत्र प्रदर्शन एवं बीज संवर्द्धन प्रक्षेत्र	राजकीय प्रक्षेत्रों पर उन्नत प्रजाति के बीजों का उत्पादन।	36.01	–	विभागीय प्रक्षेत्रों पर उन्नत प्रजाति के 1228.80 कु0 बीजों का उत्पादन हुआ।	एक वर्ष	कृषकों को उन्नत प्रमाणित बीज उपलब्ध हुये जो उत्पादन वृद्धि का एक कारक रहा।	एक वर्ष
4	उत्तराखण्ड जैविक उत्पाद परिषद् का सुदृढीकरण	राज्य में जैविक खेती को बढावा देना।	150.00	–	28000 है0 में जैविक कृषि कार्यक्रम संचालित किया गया जिससे 50026 कृषक लाभान्वित हुये।	एक वर्ष	जैविक क्षेत्रों का प्रमाणीकरण किया गया जिससे जैविक उत्पादों के विपणन की सम्भावनायें बढ़ी है।	तीन वर्ष
5	सूचना सलाह केन्द्रों का सुदृढीकरण	राज्य में किसानों को महत्वपूर्ण जानकारियॉ उपलब्ध कराना।	11.00	–	NeGP-A से 95 विकासखण्डों तक ऑनलाईन सूचनाओं का आदान–प्रदान किया गया। टोल फ्री नम्बर से 2600 कृषकों को कृषि संबंधी सुझाव दिये गये। फार्मर्स पोर्टल पर कुल 309178 कृषक पंजीकृत किये गये। एस.एम.एस. द्वारा कुल 5271919 कृषक लाभान्वित हुये।	एक वर्ष	82 सूचना सलाह केन्द्रों के माध्यम से सूचनाओं आदान–प्रदान तथा कृषकों की समस्याओं का त्वरित समाधान किया गया।	एक वर्ष
6	कृषि निवेश भण्डारों, प्रक्षेत्रों तथा प्रशिक्षण केन्द्रों का सुदृढीकरण	कृषि विभाग में अवस्थापना सुविधाओं का विकास।	353.03	–	670 न्याय पंचायतों पर स्थित कृषि निवेशों केन्द्रों के लिये किराया तथा 670 सहायकों के लिये पारिश्रमिक का भुगतान किया गया। एक प्रशिक्षण केन्द्र एवं विभाग के 05 कृषि प्रक्षेत्रों सुदृढीकरण पर कार्य	एक वर्ष	कृषि निवेशों के माध्यम से खरीफ, रबी एवं जायद के बीजों की समय से आपूर्ति हुई। पौध सुरक्षा रसायन एवं कृषि यंत्र कृषकों को उपलब्ध हुये तथा कृषकों को योजनाओं की तकनीकी जानकारी प्राप्त हुई।	एक वर्ष
7	विभिन्न प्रयोगशालाओं का संचालन व्यय	विभिन्न प्रयोगशालाओं के लिये रसायनों, ग्लासवेयर्स आदि की व्यवस्था।	45.75	–	प्रयोगशालाओं में निम्न कार्य किये गये– मृदा नमूने एकत्रीकरण–79678 संख्या मृदा नमूनों का परीक्षण–82393 संख्या उर्वरक नमूनों का विश्लेषण–291 मृदा स्वास्थ्य कार्ड का वितरण–4.46 लाख कीटनाशी नमूनों का विश्लेषण–130 नमूने	एक वर्ष	13 मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं में मृदा नमूनों का परीक्षण किया गया। 04 गुण नियंत्रण प्रयोगशालाओं में उर्वरक एवं कीटनाशी रसायनों नमूनों का परीक्षण हुआ जिससे कृषकों को गुणवत्ता युक्त सामाग्री की आपूर्ति हुई तथा उत्पादन में वृद्धि हुई।	एक वर्ष

क्र.सं	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आऊट–ले/ बजट प्राविधान (लाख रुपये में)		परिकल्पित (प्रोजेक्टेड आउटपुट)	समय सीमा	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड आउटकम)	समय सीमा
			राजस्व	पूंजीगत				
8	जल पंप स्प्रिंकलर सैट पाली हाउस विविधीकरण	किसानों को उन्नत कृषि यंत्र अनुदानित मूल्य पर उपलब्ध कराते हुये कृषि यंत्रीकरण को प्रोत्साहित करना, समतुल्य अनुदान	235.04	–	आर०के०वी०वाई०, एन०एफ०एस०एम० तथा अन्य केन्द्रपोषित योजनाओं से वितरित कृषि यंत्रों पर केन्द्रीय अनुदान के सापेक्ष समतुल्य अनुदान दिया गया।	एक वर्ष	4500 कृषकों को कृषि यंत्रीकरण से जोड़ते हुये लाभान्वित किया गया है। जिससे कृषि यंत्रीकरण को प्रोत्साहन मिला है।	एक वर्ष
9	विभागीय भवनों का निर्माण एवं रख–रखाव	विभागीय परिसंपत्तियों का रखरखाव।	–	33.00	15 विभागीय भवनों में अनुरक्षण का कार्य किया गया।	एक वर्ष	अनुरक्षण से विभागीय सम्पत्तियां सही एवं सुरक्षित रही।	एक वर्ष
10	खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम	प्रदेश को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाना।	67.04		परम्परागत फसलों में मंडुवा का 1335 कुन्तल टूथ फुल (टी.एल.) सीड बांटा गया।	एक वर्ष	मंडुवा उत्पादन एंव बीज प्रतिस्थापना में वृद्धि हुयी।	एक वर्ष
11	खाद्यन्न/दहलन/तिल हन बीजों का क्रय	कृषकों को उन्नत प्रजाति के बीज उपलब्ध कराना।	–	1500.00	योजना में 36120 कुं0 प्रमाणित बीजों का क्रय कर कृषकों में वितरण किया गया।	एक वर्ष	कृषकों को गुणवत्ता युक्त बीज उपलब्ध हुये जिससे बीज प्रतिस्थापना दर एवं उत्पादन में वृद्वि हुई है।	एक वर्ष
12	कीटनाशी औषधियों का क्रय	कीट रोगों के नियंत्रण हेतु औषधियों का क्रय।	–	1000.00	फसलों पर लगने वाले कीट, रोग एवं खरपतवार के नियंत्रण हेतु रसायन तथा जैविक औषधियां क्रय की गई तथा कृषकों को समय–समय पर उपलब्ध करायी गई।	एक वर्ष	कीट, रोग एवं खरपतवार के नियंत्रण से फसलों को हानि से बचाया गया जिससे अपेक्षित उत्पादन प्राप्त हुआ।	एक वर्ष
13	अनुसूचित जाति बहुल ग्रामों में कृषि विकास कार्यक्रम	चयनित ग्रामों का सूक्ष्म नियोजन करते हुये पूर्ण विकास का लक्ष्य प्राप्त करना।	350.00	–	योजना में निम्न कार्य किये गये– बीज मिनीकिट वितरण– 1431 सं0 पौध रक्षा कार्यक्रम– 1500 है० यंत्र वितरण– 423 सं0 छोटे कृषि यंत्र वितरण– 1346 सं0 जल पंप वितरण–16 सं0 सिंचाई टैंक–19 सं0 रिटेनिंग वॉल– 25193 है0 मृदा एवं जल संरक्षण कार्य– 175 है0 प्रशिक्षण – 60 सं0 छत वर्षा संग्रहण टैंक– 40 सं0 एच0डी0पी0इ0 पाईप–3500 मी0	एक वर्ष	68 अनु०जाति ग्रामों का कृषि क्षेत्र में संतृप्तीकरण हेतु कार्य हुआ। कृषकों की आय एवं उत्पादन में वृद्धि हुई।	एक वर्ष

क्र.सं	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आऊट–ले/ बजट प्राविधान (लाख रुपये में)		परिकल्पित (प्रोजेक्टेड आउटपुट)	समय सीमा	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड आउटकम)	समय सीमा
			राजस्व	पूंजीगत				
					पॉली हाऊस निर्माण– 14 सं0 भूस्खलन एवं नाला नियंत्रण– 16 है0			
14	अनुसूचित जनजाति बहुल ग्रामों में कृषि विकास कार्यक्रम		100.00	–	योजना में निम्न कार्य किये गये– बीज मिनीकिट वितरण– 300 सं0 पौध रक्षा कार्यक्रम– 360 है० यंत्र वितरण– 438 सं0 जल पंप वितरण–04 सं0 सिंचाई टैंक–07 सं0 मृदा एवं जल संरक्षण कार्य– 116 है0 प्रशिक्षण – 03 सं0	एक वर्ष	10 अनु0 जनजाति ग्रामों का कृषि क्षेत्र में संतृप्तीकरण हेतु कार्य हुआ। कृषकों की आय एवं उत्पादन में वृद्धि हुई।	एक वर्ष
15	जैविक मंडुवा उत्पादन कार्यक्रम	चयनित क्षेत्रों में जैविक मंडुआ उत्पादन बढ़ाना	187.42	–	योजना में निम्न कार्य किये गये– प्रमाणीकरण के अन्तर्गत क्षेत्रफल–9605 है0 नाडेप पिट/वर्मी कम्पोस्ट–2129 सं० ग्राम स्तरीय प्रशिक्षण–35 सं० मंडुआ थ्रेसर–10 सं० जैव आगातों का वितरण–3050है0	एक वर्ष	चयनित जनपदों में मंडुवा के उत्पादन में लगभग 5 % से 10 % की वृद्धि हुई।	एक वर्ष
राज्य पोषित योजनाओं का योग			13229.47	2533.00				
महायोग			**34943.89**	**2533.00**				

कुल बजट प्राविधान वर्ष 2016–17 (राजस्व + पूंजीगत) = रू० 37476.89 लाख